कार्मिक विभाग (नि0-।।।)

संख्याः पीईआर (एपी)—सी-ए (3)-1/2010-।. तारीख शिमला-2, 24 अक्तूबर, 2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक, वर्ग—III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—I के अनुसार सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक,
लागू होना।			वर्ग—III, (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से
			प्रवृत्त होंगे।
		(3)	ये नियम, हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :
			परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन
			समय–समय पर जारी आशुटंकक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नित
			नियमों में उपबंधित सीधी भर्ती की पद्धति प्रवर्तन में नहीं रहेगी :
			परन्तु यह और कि ये नियम विधान सभा सचिवालय/हिमाचल
			प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2.	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी०ई०आर० (ए०पी०–सी) ए
_			(3)—2 / 99 तारीख 13 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित कार्मिक
			विभाग(नियुक्ति—III) लिपिक / आशुटंकक / सांख्यिकी सहायक, वर्ग— III
			(अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2007 का उस विस्तार
			तक, निरसन किया जाता है जहां तक कि ये आशुटंकक के पद से
			सम्बन्धित हैं।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार
			निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन
			नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
-			

आदेश द्वारा,

मनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आशुटंकक, वर्ग—III (अराजपत्रित) पद के लिए सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम : आशुटंकक

2. पदों की संख्या : जैसीं सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय—समय पर मंजूर

की गई है और मंजूर की जाए।

3. वर्गीकरण : वर्ग — III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. वेतनमान : (I) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड :

5910-20200 रूपए

जमा 2000 / - रूपए ग्रेड पे।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:

> 7910 / — रूपए प्रतिमास (स्तम्भ संख्याः 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।)

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद : लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पिब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पिब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पिब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पिब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों हारा नियुक्त किए गए थे /िकए गए हैं और उन पिब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

टिप्पण:-

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

क) अनिवार्य अर्हताः

- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष हो।
- (ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि तथा टंकण में निम्नलिखित गति रखता हो:—

आशुलिपि में गति

<u>अंग्रेजी</u> <u>हिन्दी</u> साठ शब्द प्रति मिनट साठ शब्द प्रति मिनट

कम्पयूटर पर टंकण में गति

<u>अंग्रेजी</u> <u>हिन्दी</u> पच्चीस शब्द प्रति मिनट पच्चीस शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा में अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी में पास करनी होगी :

परन्तु यह और कि अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दोनो भाषाओं में टकण की परीक्षा पास करनी होगी

परन्तु यह और कि उस पदधारी ने जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से किसी एक भाषा मे पास कर ली है को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में भी चाहे हिन्दी मे या अंग्रेजी में, जो उपरोक्त यथा विहित है, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नियुक्ति पत्र में जिन्होंने आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्विष्ट होगी कि वे दूसरी भाषा में आश्लिपि की परीक्षा प्रारम्भिक नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर पास करेंगे और यदि वे नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर दूसरी भाषा में आशूलिपि की परीक्षा पास कर लेते है तो वे अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से पाने के हकदार होंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्षों के पश्चात पास करेंगे वे अपनी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि विहित परीक्षा पास करने की तारीख से पाने के हकदार होंगे ।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।

ख) वांछनीय अर्हता (एं) :

हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता"।

आय् : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रितिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : यथास्थिति शत प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की

लागू नहीं।

दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन। इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:--

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन _____ (विभाग का नाम) में आशुटंकक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना

सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ती के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धिया :

संविदा के आधार पर नियुक्त आशुटंकक को 7910 /— रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो), के लिए संविदात्मक उपलिक्ष्यों में 240 /— रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) <u>नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी</u> :

विभाग का विभागाध्यक्ष हि०प्र० (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यकम इत्यादि संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) <u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति</u> :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न <u>उपाबन्ध-"ख"</u> के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते :

- (क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 7910 / रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 240 / रूपए (पद के पे बैन्ड के न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (ड0) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0—, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे।

आरक्षण : 16

: सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय— समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में

आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

विभागीय परीक्षा : ः लागू नहीं। 17

ः जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना शिथिल करने की शक्ति : 18

आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या

पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेंगी।

आशुटकक (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य	(नियुक्ति प्राधिकारी का
पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।	
यह करार श्री / श्रीमति पुत्र / पुत्री श्री	
,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति	
'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य,	(नियुक्ति
प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा ग	या है) के माध्यम से आज
तारीख को किया गया।	
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम	म्मानास ने भाषानंतन्त्र के
कप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के ि	
1. यह कि प्रथम पक्षकार आशुटंकक के रूप में से प्रारम्भ	
समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षक	
विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा क	
पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अ	
	•
दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटि	ट्स आवश्यक नहां हागा .
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में और र्	वेस्तारण / नवीकरण के लिए
सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा	
और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अ	
जाएगी।	ζ,

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ७७१० / रूपए प्रतिमास होगी।
- उ. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदात्मक आशुटंकक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक आशुटंकक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक आशुटंकक कर्त्तव्य (ड्युटि) से अनुपस्थिति की अविध के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- 6. संविदा आधार पर नियुक्त आशुटंकक जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त आशुटंकक का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इ सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साक्षियों की उपस्थिति में :	समें
साक्षियों की उपस्थिति में :	
1 	
(नाम व पूरा पता)	
2	
(नाम व पूरा पता) (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)	
साक्षियों की उपस्थिति में :	
1 	
(नाम व पूरा पता)	
2 	
(नाम व पूरा पता) (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)	

संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

9.

(Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-I dated, 24-10- 2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2010-I

Dated: Shimla-171002,

24th October, 2011.

NOTIFICATION

1.

2.

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the post of Steno-Typist, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:-

Short title, Commencement and application.

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Steno-Typist, Class-III (Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- (3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh:

Provided that the method of direct recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Steno-Typist under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:

Provided further that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H.P.

Repeal and savings

- (1) The Himachal Pradesh Class-III Services (Clerk/Steno Typist/Statistical Assistant) Common Recruitment snf Promotion Rules, 2007 notified vide this Department Notification No. Per (APC) A (3)-2/99, dated 13.4.2007, are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Steno-Typist.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (I) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order

Manisha Nanda Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.

Common Direct Recruitment and Promotion Rules for the posts of Steno typist in various Departments of Himachal Pradesh Government.

1. Name of Post : Steno typist

2. Number of Posts : As sanctioned and may be sanctioned by the

Government from time to time in the concerned

Departments.

3. Classification : Class-III (Non-Gazetted)

Ministerial Services.

4. Scale of Pay : i) Pay band for regular incumbents:

` 5910-20200+` 2000 Grade Pay

ii) Emoulments for Contract Employees:

` 7910/-P.M. as per details given in Col. 15-A.

5. Whether Selection :

Post or Non-Selection Post;

N.A.

6. Age for Direct : Between 18 years and 45 years: recruitment

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes:-

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum	a)	ESSENTIAL QUALIFICATION:
	Educational and		
	other	I)	Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from
	qualifications		a recognized Board of School Education/ University.
	required for direct		

	recruits:	II) Must possess the following speed in short-hand and
		typewriting on Computers in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial appointment:- <u>Speed in Shorthand</u>
		English Hindi
		60WPM 60 WPM
		Speed in typewriting on Computers
		English Hindi
		25 WPM 25 WPM
		Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the prescribed speed: Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment: Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language either in Hindi or English whichever may be as prescribed supra within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate(s) who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he will be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate(s) who qualifies the said test after three years will be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the prescribed test. (iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as
		prescribed by the recruiting authority. (b) <u>Desirable Qualification</u> : Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and	
	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:	Educational Qualifications: Not applicable
9.	Period of Probation, if any:	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various	100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

	methods:	
11.	In case of	
	recruitment by	
	promotion	"N.A."
	deputation,	
	transfer, grades	
	from which	
	promotion/	
	deputation/	
	transfer is to be	
	made:	
12	If a	
	Departmental	"N.A."
	Promotion	
	Committee	
	exists, what is	
12	its composition:	
13	Circumstances	As required under the Law.
	under which the	
	H.P.P.S.C. is to	
	be consulted in	
	making recruitment:	
14	Essential	A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of
* '	requirement for	India.
	a direct	
	recruitment:	
15	Selection for	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment
	appointment to	shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public
	the post by	Service Commission or other recruiting authority, as the case may be,
	direct	so consider necessary or expedient by a written test or practical test,
	recruitment:	the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the
		Commission OR other recruiting authority, as the case may be.
15-A	Selection for	Notwithstanding anything contained in these rules, contract
	appointment to	appointments to the post will be made subject to the terms
	the post by	and conditions given below:-
	contract	(I) <u>CONCEPT</u>
	appointment:	(a)Under this policy the Steno-Typist in Department of
		(Name of the Department) H.P. will be
		engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
		Provided that for extension/renewal of
		contract period on year to year basis the concerned HOD
		shall issue a certificate that the service and conduct of the
		contract appointee is satisfactory during the year and only
		then his period of contract is to be renewed/extended.
		(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB :-
1		The HOD (Designation of Appointing Authority) after
1		obtaining the approval of the Government to fill up the
		vacant posts on contract basis will place the requisition with
		the
		concerned recruiting agency H.P. Subordinate Services
		Selection Board, Hamirpur.
		(c) The selection will be made in accordance with the eligibility
		conditions prescribed in these Rules.
		(II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS</u> :
		The Steno-Typist appointed on contract basis will be paid
		consolidated fixed contractual amount @ `7910 P.M.
		(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `.240 (3% of the minimum of pay
		band + grade pay of the post) as annual increase in
		Danu + grade pay of the post) as annual increase in

contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Head of the Department (Designation of the appointing authority) H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) <u>SELECTION PROCESS</u>:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSSB.

(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS</u>:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPSSSB from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per <u>Annexure-"B"</u> appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `.7910 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `.240 (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

		(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination:	"N.A."
18	Power to Relax:	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

the	m of contract/agreement to be executed Government of Himachal Pradesh cointing Authority).		
	•		
This	s agreement is made on this Between	day of _	in the
year	Between	Sh./Smt.	S/o/D/o
Shri	K/0		
	tract appointee (hereinafter called the		
	lesh through (Do		g Authority) Himachai
	ereas, the SECOND PARTY has engage		ARTY and the FIRST
PAF	RTY has agreed to serve as a Steno-t ditions:-		
1.	That the FIRST PARTY shall remain Typist for a period of 1 year commenday of It is specificathat the contract of the FIRST stand terminated on the last working notice shall not be necessary: Provided that for furth	ncing on day oflly mentioned and agreed up PARTY with SECOND PARTY	and ending on the pon by both the parties ARTY shall ipso-facto And information
	year basis the concerned HOD shall is		•
	contract appointee is satisfactory durin		
	be renewed/extended.		•
2. 3.	The contractual amount of the FIRST. The service of FIRST PARTY will be liable to be terminated in case the perfound good or if a regular incumbent	be purely on temporary basis rformance/conduct of the co	s. The appointment is ntract appointee is not
4.	the first party was engaged on contract Contractual Steno-Typist will be enti month service. This leave can be acc admissible to the contractual Steno Reimbursement and LTC etc. Only n	t. itled for one day casual leav cumulated upto one year. No-Typist. He will not be	ve after putting in one to leave of any kind is entitled for Medical
5.	Unauthorized absence from the duty vautomatically lead to the termination of be entitled for contractual amount	without the approval of the coon of the contract. A contra	ontrolling Officer shall actual Steno-typist will
6.	Steno-Typist appointed on contract b place of posting will be eligible for t administrative grounds.	asis who have completed fir	ve years tenure at one
7.	Selected candidate will have to s Government/Registered Medical Prace beyond twelve weeks will render her The women candidate should be re- Officer/Practitioner.	ctioner. In case of women temporarily unfit till the	n candidates pregnant e confinement is over.
8.	Contract Steno-Typist shall be entitled with his/her official duties at the same		
9.	the minimum of pay scale. The Employees Group Insurance Sch contractual appointee(s).	eme as well as EPF/GPF wi	ll not be applicable to
	IN WITNESS the FIRST PARTY AN	D SECOND PARTY have h	erein to set their hands
	the day, month and year first, above w IN THE PRESENCE OF WITNESS:	ritten.	
	1(Name and Full Address)		

(Signature of the FIRST PARTY)

2	
(Name and Full Address)	
IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
1	
(Name and Full Address)	
	(Signature of the SECOND PARTY)
2	
(Name and Full Address)	
:	******